न्यायालय अपर जिला जज, कोटद्वार, पौडी गढ़वाल।
पीठासीन– रीना नेगी, (एच0जे0एस0),

प्रकीर्ण दीवानी अपील संख्या–01/2022

CNR No-UKPG050002412022

बनवारी लाल पुत्र देवदत्त (मृतक प्रतिस्थापित) प्रदीप घिल्डियाल
निवासी ग्राम बयेला तल्ला, पट्टी बिचला बदलपुर,
तहसील रिखणीखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल।
द्वारा मनोज कुमार जोशी पुत्र कैलाश चन्द्र जोशी
ग्राम मज्याड़ीसैंण, पट्टी इडियाकोट मल्ला,
तहसील रिखणीखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल।

– अपीलार्थी/विपक्षी

बनाम

1. विहित प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी लैंसडोन, पौड़ी गढ़वाल।
2. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।

– प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता– श्री पवन बंसल
प्रत्यर्थी की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, सिविल– श्री बी.एस.चौहान।

दिनांक–06.11.2023

निर्णय

यह प्रकीर्ण दीवानी अपील, वाद संख्या 07/2016 सरकार बनाम बनवारी लाल पुत्र देवदत्त (मृतक प्रतिस्थापित) प्रदीप घिल्डियाल में पारित निर्णय 07.03.2022 तथा जारी प्रपत्र 'ख' के विरूद्व योजित की गयी है। इस आदेश के द्वारा विहित प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी ने अपीलार्थी/विपक्षी को धारा 4 (1) उ0प्र0 भूगृहादि (अप्राकृतिक अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम 1972 के अंतर्गत दिये गये नोटिस दिनांक 23.09.2016 को अंतिम करते हुए अवैध अध्यासी को ग्राम बयेला पल्ला, पट्टी बिचला बदलपुर–5, तहसील रिखणीखाल जिला पौड़ी गढ़वाल के खाता सं.22, खसरा सं. 1247 मध्ये 0.009 हे0 काबिज भूमि पर अवैध अध्यासी मानते हुए उसे बेदखल करने का आदेश पारित किया गया तथा राज्य सरकार को हुई क्षति 4118/–रूपये वसूल करने का आदेश भी पारित किया गया।

2. वर्तमान अपील के माध्यम से अपीलार्थी/विपक्षी ने यह निवेदन किया है कि विद्वान अवर न्यायालय का आलोच्य आदेश पत्रावली

पर प्रस्तुत तथ्यों, साक्ष्यों एवं विधि विरूद्ध है। विहित प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित प्रपत्र–क में बेदखली के आधार एवं अतिक्रमित भूमि की नाप और चौहद्दी भी उल्लेखित न किये जाने के कारण भी समस्त कार्यवाही गैरकानूनी एवं निष्प्रभावी है। अपीलार्थी प्रश्नगत् भूमि पर लगभग 17 वर्षों से अधिक समय से अपने पिता के जीवनकाल से अपनी विरासती भूमि के साथ–साथ उपरोक्त भूमि आवास बनाकर जीवन निर्वाह कर रहा है। प्रश्नगत् सम्पत्ति किसी भी तरह से सार्वजनिक सम्पत्ति की श्रेणी में नहीं आती है। विहित प्राधिकारी ने चालानकर्ता के द्वारा प्रस्तुत नक्शा का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया है। पत्रावली पर किसी भी शिकायतकर्ता का प्रार्थनापत्र एवं उपजिलाधिकारी लैंसडोन द्वारा चालानी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्गत आदेश पत्रावली में मौजूद न होने के बावजूद प्रत्यर्थी सं.1 द्वारा अपने निर्णय के आधार बिन्दु बनाये जाने के कारण भी आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। चालानी रिपोर्ट को किसी भी स्वतंत्र साक्षी से समर्थित न कराये जाने के बावजूद भी पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। अतः विहित प्राधिकारी के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पवन बंसल एवं प्रत्यर्थीगण की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता (सिविल) श्री बृजमोहन सिंह चौहान को सुना एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में तर्क दिया गया कि अपीलार्थी को प्राप्त नोटिस में सार्वजनिक प्रयोग की भूमि नहीं लिखा है। चालानी रिपोर्ट, नोटिस के साथ नहीं दी गयी। विवादित स्थल के मौके का नक्शा पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया। जो नक्शा पत्रावली पर दाखिल किया है वह ट्रेस पेपर है। मौके की पैमाइश का कोई प्रपत्र नहीं है, जिससे ज्ञात होता कि क्या फिक्स प्वाइंट था। अपीलार्थी को प्राप्त नोटिस में भू–अभिलेखों में मकान का निर्माण होना दर्ज है, किस अभिलेख में निर्माण दर्ज है, यह नहीं दर्शाया है। पत्रावली पर कोई शिकायती पत्र दाखिल नहीं किया गया है। अपीलार्थी को जांच की कोई सूचना नहीं दी गयी।

5. जवाब में ए.डी.जी.सी.सिविल द्वारा कथन किया गया कि प्रपत्र–क में स्पष्ट रूप से सावर्जनिक प्रयोग लिखा है। धारा–2(g) अवैध

अध्यासी से संबंधित है। चालानी रिपोर्ट में पूरा विवरण नाप, चौहद्दी लिखा है। जिरह में अपीलार्थी ने नहीं कहा कि जमीन अपीलार्थी की है या भूमिधरी भूमि है।

6. अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वाद सं0–07/2016 के मामले में विहित प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी, लैंसडोन ने राजस्व उप निरीक्षक की चालानी रिपोर्ट दिनांकित 19.12.2015 कागज सं. अ–3/3 के आधार पर संज्ञान लेकर अपीलार्थी को नोटिस प्रेषित किया था। चालानी रिपोर्ट में राजस्व उप निरीक्षक ने यह उल्लेखित किया है कि अपीलार्थी ने ग्राम बयेला पल्ला, पट्टी बिचला बदलपुर, तहसील रिखणीखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल के खाता सं. 22, खसरा सं. 1247, मध्ये रकबा 0.009 हे. पर मकान निर्माण करके वर्ष 2007 से कब्जा कर रखा है, जिससे राज्य सरकार को 4118/–रूपये की क्षति हुई है, जबकि यह भूमि राजस्व अभिलेखों में उत्तराखण्ड सरकार की है। इस चालानी रिपोर्ट के साथ नक्शा एवं खसरा–खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गयी।

7. चालानी रिपोर्ट के आधार पर वाद संख्या–07/2016 योजित हुआ तथा अपीलार्थी/विपक्षी को नोटिस जारी हुए। अपीलार्थी/विपक्षी ने इस इस वाद में अपना जवाबदावा कागज सं. अ–6 प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि कभी भी सार्वजनिक प्रयोग में नहीं लायी गयी है और न ही सार्वजनिक प्रयोजन की है। विवादित भूमि, अवैध अध्यासी की मुतसिल पर है एवं विवादित स्थल को अवैध अध्यासी अपने पिता अवैध के समय से काश्त करते चले आ रहे हैं। अवैध अध्यासी ने 12 वर्ष पूर्व विवादित स्थल पर मकान का निर्माण किया तथा अवैध अध्यासी को उपरोक्त नोटिस से पूर्व किसी प्रकार की कार्यवाही विवादित स्थल एवं उस पर मकान के संबंध में किसी भी विभाग एवं न्यायालय द्वारा अवैध अध्यासी के विरूद्ध नहीं की गयी। अवैध अध्यासी का विवादित स्थल पर लगभग 60 वर्ष से कब्जा होने से संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो गये हैं।

8. इस प्रकरण में निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु हैं–

1. क्या ग्राम बयेला पल्ला, पट्टी बिचला बदलपुर, तहसील रिखणीखाल,

जिला पौड़ी गढ़वाल के खाता सं. 22, खसरा सं. 1247, मध्ये रकबा 0.009 हे. पर अपीलार्थी ने मकान निर्माण करके अवैध से कब्जा कर रखा है, जिसका विवरण चालानी रिपोर्ट में अंकित है?

<u>अवधार्य बिन्दु सं.1 का निस्तारण</u>

9. चालानी रिपोर्ट कागज सं. अ–3/3 को राजस्व उपनिरीक्षक पट्टी बिचला बदलपुर–5, तहसील लैंसडोन के द्वारा दिनांक 19.12.2015 को तैयार करके उपजिलाधिकारी लैंसडोन को प्रेषित की गयी है। इस रिपोर्ट में राजस्व उपनिरीक्षक ने यह अंकित किया है कि अपीलार्थी ने ग्राम बयेला पल्ला, पट्टी बिचला बदलपुर, तहसील रिखणीखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल के खाता सं. 22, खसरा सं. 1247, मध्ये रकबा 0.009 हे. पर मकान निर्माण करके वर्ष 2007 से कब्जा कर रखा है, जबकि यह भूमि राजस्व अभिलेखों में उत्तराखण्ड सरकार की है।

10. चालानकर्ता ने इस मामले में स्वयं को परीक्षित कराकर चालानी रिपोर्ट को साबित किया है। चालानकर्ता द्वारा ग्राम बयेला पल्ला, पट्टी बिचला बदलपुर–5 के खाता सं. 22 खसरा सं. 1247 की भूमि की प्रमाणित उद्धरण खतौनी की प्रतिलिपि प्रदर्श क–2, 3 व 4 के रूप में पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी है। इन अभिलेखों में यह भूमि नॉन जेड.ए. भीटा भूमि के रूप में दर्ज है, अर्थात् यह भूमि उत्तराखण्ड सरकार की है। इस खतौनी के विरूद्ध अपीलार्थी/विपक्षी की ओर से कोई खण्डन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, इसलिए इस खतौनी से चालानकर्ता के कथनों का समर्थन होता है कि वादग्रस्त भूमि सरकारी भूमि है।

11. अपीलार्थी प्रदीप घिल्डियाल ने अवर न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि '' *विवादित स्थल पर मेरा अवैध अध्यासी अपने पिता के समय से लगभग 60 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है, जिस भूमि का चालान हल्का पटवारी द्वारा किया गया है, किसी भी प्रकार सार्वजनिक प्रयोजन गौचर, मरघट, आम रास्ता एवं खेल कूद का मैदान नहीं है। यह कि जिस भूमि चालान राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा किया गया है, उस भूमि को मैं अपने पिता के समय से काश्त करता रहा हूं एवं मैंने अपने पुराने मकान क्षतिग्रस्त होने के कारण विवादित स्थल पर अपने परिवार के आवास हेतु लगभग 13 वर्ष पूर्व मकान का निर्माण किया और*

इससे पूर्व मेरे विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी एवं न ही नोटिस दिया गया।

12. अपीलार्थी ने अपने बयान/जिरह में स्वीकार किया है कि *"राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा कौन से खाता व खेत संख्या का चालान किया गया है। इस बात का मुझे जानकारी नहीं है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि चालानशुदा भूमि राजस्व कागजात में राज्य सरकार के नाम दर्ज कागजात है। खेत संख्या 1247 खसरे में उत्तराखण्ड सरकार भीटा के रूप में दर्ज हो, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। हमारे द्वारा खेत संख्या 1247 में अपने नाम पर पट्टा या अनुमति जारी किये जाने हेतु कोई आवेदन कभी नहीं किया। मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि हमारा अपना खाता व खेत संख्या क्या है। यह कहना सही है कि हमने अपने स्वामित्व के संबंधित किसी भी दस्तावेज को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया।"*

इस प्रकार अपीलार्थी को यह तक ज्ञात नहीं है कि खाता सं. 22, खेत सं. 1247 की भूमि किसके नाम पर दर्ज है और जहां पर उसका मकान है। इस आधार पर यही माना जाएगा कि प्रश्नगत् भूमि उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की भूमि है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध कब्जा किया गया है।

13. साक्षी का प्रश्नगत् भूमि पर अपने पिता के समय से कब्जा हो, ऐसा कोई भी प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी के पिता के किस आधार पर अधिकार सृजित हुए, इसका भी कोई वर्णन अपीलार्थी के द्वारा नहीं किया गया है। इसके अति. रिक्त साक्षी प्रदीप घिल्डियाल ने अवर न्यायालय में अपनी जिरह में विवादित भूमि की चौहद्दी में उत्तर में अपनी भूमि एवं दक्षिण में अपना पुराना मकान दर्शाया है। विवादित भवन की भूमि के स्वामित्व के बारे में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

14. विहित प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी लैंसडोन द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के सम्यक् परिशीलन पर आधारित है। अतः वाद संख्या–07/2016 सरकार बनाम बनवारी लाल में पारित आदेश दिनांकित 07.03.2022 में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। उक्त

आदेश पुष्ट किए जाने योग्य है और यह प्रकीर्ण दीवानी अपील बलहीन है और निरस्त होने योग्य है।

आदेश—

प्रकीर्ण दीवानी अपील निरस्त की जाती है। वाद सं0 07/2016 की पत्रावली न्यायालय विहित प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी लैंसडोन, जिला पौड़ी गढ़वाल को इस आदेश की एक प्रति के साथ वापस प्रेषित की जाए। यह पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

दिनांक—06.11.2023

(रीना नेगी),
अपर जिला जज,
कोटद्वार, पौड़ी गढवाल।

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक—06.11.2023

(रीना नेगी),
अपर जिला जज,
कोटद्वार, पौड़ी गढवाल।